

न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बायतु जिला- बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी श्री सज्जनराम आर.टी.एस

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
राजस्थान सरकार पटवारी हल्का लुनाड़ा		हुकमाराम पुत्र उमाराम कौम जाट निवासी दुर्गोणियों का तला

मुकदमा नम्बर 01/2020 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 14.09.2020

पत्रावली आज पेश हुई। विप्रार्थी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विप्रार्थी द्वारा संवत् 2076 में ग्राम सांईयों का तला के खसरा नम्बर 1710/1572 बीघा कुल रकबा 24.5774 हैक्टयर में से 10000 वर्ग फीट किरम गैर.मू. गोचर भूमि पर अनाधिकृत रूप से काश्त/कब्जा कर लिया गया है। पटवारी हल्का लुनाड़ा द्वारा रिपोर्ट पेश की, जिसके आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस विप्रार्थी से तामील होकर प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

पत्रावली व पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया है। विप्रार्थी द्वारा सरकारी भूमि पर बिना किसी अधिकार के कब्जा किया है जो अवैध है। अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर सरकारी भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही भूमि के वार्षिक लगान 0.06 रु 50 गुणा जुर्माना रु 50/- अखरे पचास रूपये मात्र किया जाता है। जो विप्रार्थी से वसूल हो। विप्रार्थी को मोकें तहरीर जारी हो।

पटवारी हल्का व तराले तहसील हाजा आदेश से सूचित हो, पत्रावली फेसल सुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय खुली अदालत सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार एवं कार्यपालक  
मजिस्ट्रेट बायतु